

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3805
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मधुमेह के संबंध में लैसेट रिपोर्ट

3805. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लैसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट की जानकारी है कि देश में मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों की संख्या वर्तमान के 529 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आगामी 30 वर्षों में देश में मधुमेह रोग के मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण बनने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट के अनुसार देश की वर्तमान स्थिति क्या है और भारतीयों में इस घातक बीमारी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास/उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग): वर्ष 2023 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-भारत मधुमेह (आईसीएमआर इंडियाबी) अध्ययन के अनुसार मधुमेह की व्याप्तता 101 मिलियन है। इसके अलावा, मधुमेह के कारण कुल मौतों और कुल दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) में मधुमेह की भागीदार निम्नवत् है:

रोग समूह का नाम	कुल मौतों में हिस्सेदारी		कुल डीएएलवाई में हिस्सेदारी	
	1990	2016	1990	2016
मधुमेह	10.0%*	23.1%*	5.5%**	7.7%**

* क्रूड मृत्यु दर (%) ** क्रूड व्याप्तता (%)

[पूरी रिपोर्ट निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में गैर-संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधन दायरे के अध्यक्षीन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मधुमेह एनपी-एनसीडी का अभिन्न भाग है। इस कार्यक्रम में मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए अवसंरचना सुदृढीकरण, मानव संसाधन विकास, इन रोगों की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन तथा उपचार के लिए उपयुक्त स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र में रेफरल पर विशेष बल दिया जाता है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, 724 जिला एनसीडी क्लीनिक, 210 कार्डियक केयर केंद्र और 6110 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में भी मधुमेह सहित सामान्य एनसीडी के निवारण, नियंत्रण और इनकी जांच के लिए देश में एक जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनसीडी की जांच के लिए लक्षित किया गया है। मधुमेह की जांच आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत दी जाने वाली सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है।

एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए की गई अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, एफएसएसएआई के द्वारा स्वस्थ खान-पान को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान चलाया जाता है और आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों का निष्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीडी के लिए किए जाने वाले जागरूकता सृजन (आईईसी) क्रियाकलापों के लिए एनएचएम के तहत राज्यों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनपीएनसीडी के तहत, राज्यों से उनकी कार्यान्वयन योजनाओं के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मधुमेह के लिए ग्लूकोमीटर और औषधियां प्रदान की जाती हैं। एनएचएम की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए इन्सुलिन सहित अनिवार्य दवाओं का निःशुल्क प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)' के तहत, राज्य सरकारों के सहयोग से सभी को इन्सुलिन सहित अन्य गुणवत्तापरक जेनरिक दवाएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
